

माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा की अध्यक्षता में दिनांक 31.03.2018 को सांय: 3:00 बजे हुई जिला लोक परिवाद समिति की बैठक का निर्णय

क्र० स०	परिवाद, परिवादी का नाम तथा सम्बन्धित विभाग	विभागीय टिप्पणी	अध्यक्ष महोदय का निर्णय
1	<p>जिला वन, अधिकारी गुरुग्राम, CMOFF/N/2016/068243 स्मरण पत्र न० 1110/परिवाद दिनांक 03.10.2017 (श्रीकांत गांव बादशाहपुर दरबारीपुर रोड नजदीक माता मंदिर गुरुग्राम जिला गुरुग्राम हरियाणा । मो० न० 9899002626)</p> <p>शिकायतकर्ता की शिकायत है कि गांव फाजीलपुर घसौला में गैर मुमकिन बांध पर स्पेज आई०टी० और स्पेज शॉपर स्टॉप नामक कम्पनियों द्वारा अवैध निर्माण करने के कारण बारिश के पानी की कोई निकासी नहीं है व बांध के एक तरफ तार बांध कर आम आदमी का रास्ता रोका हुआ है । यह बांध वन विभाग के अन्तर्गत आता है । अतः वन विभाग से निवेदन है कि समस्या का निदान किया जाये । दिनांक 13.12.2016 को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा इस मामले में नियमानुसार जिला वन अधिकारी को कार्यवाही करते हुए अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए ।</p> <p>दिनांक 02.07.2017 को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदय ने इस मामले को लम्बित रखते हुए आदेश दिये कि बांध में पानी के निकासी तथा रास्ते को रोकने के बारे कम्पनी ने जो कार्यवाही की है उसे हटवाया जाये तथा नवीनतम स्थिति अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।</p> <p>नोट:- दिनांक 08.10.2017 को हुई जिला परिवाद समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदय ने विभागीय टिप्पणी व परिवादी को सुनने के पश्चात परिवाद को लम्बित रखते हुये निर्देश दिये कि जगह की डिमार्केशन दस दिन में करवाकर नाजायज कब्जा हटवा दिया जाए ।</p>	<p>वन मण्डल अधिकारी, गुरुग्राम ने अपने पत्र क्रमांक 1953-सी दिनांक- 30.03.2018 द्वारा सुचित किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा जिस प्रस्तावित स्थल की शिकायत की गई है उस प्रस्तावित स्थल की इस कार्यालय द्वारा डिमार्केशन की गई तो पाया गया कि प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा बिना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अनुमति के अधिसूचित वन क्षेत्र को प्रयोग में लाया जा रहा है। आपको अवगत कराया जाता है कि उन द्वारा इसी प्रस्तावित स्थल का पहले ही M/s Wellworth Construction Pvt. Ltd. C/o Spaze Tower Pvt.Ltd. Spazedge, Sector-47, Sohna Road, Gurugram के नाम से अधिसूचित वन क्षेत्र को डार्डवर्ट करने का प्रस्ताव इस कार्यालय में लगाया हुआ है। इस प्रकार प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा संरक्षण अधिनियम,1980 के प्रावधानों की अल्लघना की गई थी, जिसके निरन्तर में विभागीय नियमानुसार कार्यवाही करते हुये इस कार्यालय द्वारा प्रयोक्ता ऐजेंसी पर पैनल्टी लगाते हुये प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया जिसके संदर्भ में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक-9-एच.आर.बी.235/2014-सी.एच.ए.दिनांक 07.12.2017 द्वारा निर्देश प्राप्त हुये कि प्रयोक्ता ऐजेंसी से क्षतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम अनुसार राशि जमा कराई जाये। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-2768 दिनांक 11.12.2017 द्वारा प्रयोक्ता ऐजेंसी को 8,17,663/रुपये की राशि आनलाईन जमा करवाने बारे पत्र लिखा गया था। प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा दिनांक- 15.12.2017 को 8,17,563/रुपये की राशि आनलाईन जमा करवाई गई । तदोपरांत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक-9-एच.आर.बी.235/2014-सी.एच.ए.दिनांक-24.02.2018 द्वारा फाईनल स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस मण्डल द्वारा जो नियमानुसार कार्यवाही करते हुये प्रयोक्ता ऐजेंसी को नोटिस जारी किया गया था तब तक प्रयोक्ता ऐजेंसी को फाईनल स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी, इसलिए प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा स्टे के लिए माननीय सत्र न्यायालय में केस दायर किया गया था। जिसकी आगामी तिथि दिनांक 25.04.2018 लगी है।</p>	<p>The Complainant was present. After hearing the complainant and perusal of Departmental comments, the matter was filed by the Chairman with the direction to MCG,Commissioner to make provision for discharge of storm water through the bandh within one month to avoid flooding during monsoon.</p>
2	<p>पुलिस आयुक्त गुरुग्राम पत्र क्रमांक 782/परिवाद दिनांक 20.07.2017 व 1114/परिवाद दिनांक 03.10.2017 (श्री भवानी शंकर शर्मा कार्यकारी अधिकारी, राज्य सभा सचिवालय, संसद</p>	<p>पुलिस उपायुक्त, दक्षिण गुरुग्राम ने अपने पत्र क्रमांक 1922 दिनांक- 08.12.2017 द्वारा सुचित किया है कि श्री विजय यादव तहसीलदार सोहना डिप्यूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दिनांक-13.10.2017 को परिवादी श्री भवानी शंकर को हल्का कानूनगो सुरेन्द्र भारद्वाज व</p>	<p>The Complainant was present. After hearing the complainant and perusal of Departmental</p>

<p>भवन, नई दिल्ली मो0 9811240059) शिकायतकर्ता ने शिकायत की है कि उसकी गांव रानीका सिंघोला तहसील सोहना जिला गुरुग्राम मे वाटिका फार्म न0 266 प्रापर्टी है और उसका प्राईवेट न0 सी0 292ए है। इस प्रोपर्टी पर रिटोच, रानीका सिंघोला गुरुग्राम के तीन आदमी जिनके नाम सुरेन्द्र खटाना, बलवान सिंह खटाना, पुत्रान श्रीराम काला और हरस्वरूप खटाना सुपुत्र संतराम खटाना ने लगभग तीन साल पहले अतिक्रमण कर लिया जबकि सारी प्रापर्टी के कागजात उनके नाम है और राजस्व रिकार्ड मे उसका नाम है और तहसीलदार सोहना ने उन्हे ओनरसिप प्रमाण पत्र भी दिया हुआ है। वे इस अतिक्रमण को हटवाने के लिए सभी अधिकारियो से निवेदन कर चुके है परन्तु यह प्रापर्टी अभी तक उक्त अतिक्रमणकर्ताओ से खाली नही हुई है। उन्होने अनुरोध किया है कि इस मामले मे दखल अंदाजी करके अधिकृत अधिकारी को इस प्रापर्टी को खाली करवाने के निर्देश दिये जाये। नोट:- दिनाक 08.10.2017 को हुई जिला परिवाद समिति की बैठक मे अध्यक्ष महोदय ने विभागीय टिप्पणी के अवलोकन के पश्चात परिवाद को लम्बित रखते हुये निर्देश दिये कि परिवादी को कब्जा दिलाने के लिए अगली तिथि निश्चित करके उन्हे सुचित किया जाये और कब्जा शीघ्र दिलाया जाये। (नायब तहसीलदार सोहना से रिपोर्ट प्राप्त की जानी है)</p>	<p>हल्का पटवारी युगल किशोर कि निशानदेही पर कब्जा दिलवाया गया।</p>	<p>comments, the matter was filed by the Chairman.</p>
<p>3 वरिष्ठ नगर योजनकार (ई0) गुरुग्राम पत्र 493/परिवाद दिनाक 12.05.2017 एवं 913/परिवाद दिनाक 16.08.2017/हुडडा संपदा अधिकारी-2 गुरुग्राम। शिकायतकर्ता अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, Trinity Towers Condominium Association, Towers Complex, DLF City Phase-V Gurugram Ph-0124- 4364513. शिकायतकर्ता ने शिकायत की है कि सेक्टर 53 नजदीक जैनपेक्ट चौक गुरुग्राम की हुडडा की जमीन खसरा न0 303/2/2 गांव वजीराबाद पर अनाधिकृत मार्किट चलाई जा रही है जिससे लोगो की सेपटी और सिक्योरटी खतरे मे पड़ गई है। बच्चो, लडकियो व औरतो को इस इलाके से गुजरना कठिन हो गया है यहा पर Anti Social elements ने illegal & immoral activities व Drinking का स्थान बना लिया है तथा यहा पर गाडी पार्क होने के कारण जाम लगा रहता है। शिकायतकर्ता ने हुडडा की जमीन को खाली करवाने का अनुरोध किया है। नोट:- दिनाक 08.10.2017 को हुई जिला परिवाद समिति की बैठक मे अध्यक्ष महोदय ने विभागीय टिप्पणी व परिवादी को सुनने के पश्चात</p>	<p>The Estate Officer -2, HSVP Gurugram has intimated vide his letter no- PA/86 dated-26-03-2018 that the land in contention is an unplanned Huda land and encroachment has been removed for the entire sector-53 and sector-54 which also include this pocket.</p>	<p>The Complainant was present. After hearing the complainant and perusal of Departmental comments, the matter was filed by the Chairman.</p>